(100)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3652—दो/2012 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 30—08—2012 के द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 6/पुनर्विलोकन/2011—12.

.....

1— रामनाथ यादव
2— शंकर प्रसाद यादव
3— हीरालाल यादव
4— रामसिया यादव
समस्त पुत्रगण स्व0 श्री शिवनाथ यादव
निवासी ग्राम कोनी तहसील जवा
जिला रीवा म0प्र0

—— आवेदकगण

विरूद्ध

मनविश्रामन अहीर पिता मनमोहन अहिर
निवासी ग्राम कोनी तहसील जवा
जिला रीवा म0प्र0

——अनावेदक

.....

श्री अमरनाथ द्विवेदी अभिभाषक, आवेदकगण
श्री बालकृष्ण तिवारी, अभिभाषक, अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 07/06/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर जिला रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30—08—2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षेप विवरण इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा म0प्र0 भू रा0 संहिता की धारा 115, 116 सहपठित धारा 64 के तहत इस आशय का आवेदन पत्र पेश किया गया कि ग्राम कोनी की आराजी न0 296/2, 297/2, 298/2 300/2 520/2 के भूमिस्वामी स्व0 अनावेदक कमांक –2 दर्ज है जो आवेदकगण के पिता हैं जिनकी मृत्यु अर्सा 3 वर्ष पूर्व हो चुकी हैं दाबिया भूमियों का वारसाना नामांतरण अभीतक नहीं हो पाया हे । दिनांक 25.11.2011 को हल्का पटवारी से खसरे की नकल लेने पर यह ज्ञात हुआ कि दाबिया भूमियों का बटवारा बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के विधि विरूद्व तरीके से प्रकरण कमांक अंकित नहीं है, और बटवारा कर दिया गया हैं अनावेदक कमांक 1 व आवेदकगण के पिता के मध्य बटवारा काफी समय पूर्व हो गया था। अनावेदक कमांक–1 को जो भूमियां उसके हिस्से में मिली थी उनको वह बिक्री कर चुका हैं दाबिया भूमि में उसका कोई हक नहीं है। संदिग्ध प्रतिष्ट की जानकारी आवेदगया को दिनांक 25.112011 को खसरे की प्रतिलिपि प्रापत होने पर हुई । अतः आवेदन पत्र ग्राह्य कर अनावेदक कमांक –1 का नाम निरस्त किया जावे साथ ही आवेदक का नामांतरण स्वीकार किया जाकर आदेश की इत्तला खसरे में करायी जावे । आवेदन पत्र के साथ आवेदित भूमियों का नकल खसरे की छाया प्रति पेश की गयी है जिसमें आराजी न0 520/2/1 के खसरा के कॉलम न0 12 में यह टीप अंकित की गयी है कि न्यायालय तहसीलदार जवा के आदेश दिनांक 29.8.09 प्रकरण कमांक द्वारा बटवारा नामांतरण स्वीकृत। मुख्य तथ्य प्रकरण में यह भी है कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण में पुनर्विलोकन की अनुमति चाही गई थी जो अनुविभागयी अधिकारी त्योंथर द्वारा निरस्त की गई है इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि भूमि खसरा कमांक 296/2, 297/2, 298/2 300/2 520/2 स्थित ग्राम कोनी तहसील जवा के भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी आवेदकगण के पिता शिवनाथ यादव थे जिनकी मृत्यु के बाद तत्कालीन पटवारी द्वारा नामांतरण न करके भूमि न0 520/2 का बटनवारा फर्जी अनावेदक के नाम नामांतरण पंजी में दर्ज कर दिया गया है। जिसकी जानकारी दिनांक 25.11.2011 को खसरे की नकल लेने पर हुई जिसकी नकल लेने पर बताया गया है कि संधारण पंजी में यह प्रकरण दर्ज नहीं है। उभयपक्ष की सुनवाई कर न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि बटवारा संदेहस्पद एवं फर्जी है । पुनर्विलोकन की अनुमति हेतु अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर के न्यायालय में तहसीलदार द्वारा चाही गई जो

उनके द्वारा निरस्त करने में विधिक त्रुटि की गई है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अंत में निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ नयायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि धारा 51 प्राईवेट पक्षकारों के बीच मामला किसी पक्षकार के हित को संरक्षा करने के लिये स्वप्रेरणा से पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता उनके द्वारा साईटेशन की प्रति भी प्रस्तुत की गई है। अंत में उनके द्वारा कहा गया है कि आवेदक की निगरानी बलहीन होने से निरस्त की जावे।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहाराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा आवेदन खसरा सुधार का है न कि पुनर्विलोकन अनुमति का वैसे भी म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–

अ– नई एवं महत्त्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा कोई कारण विद्यमान नहीं है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 6/पुनर्विलोकन/2011–12 में पारित आदेश 30.8.2012 स्थिर रखा जाता है। परिणमस्वरूप आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी तथ्यहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर